न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास–डॉ0 अमित यादव, आई.ए.एस

म्यूटेशन अपील संख्या –59/2021
जी.सी.एम.एस.पोर्टल नम्बर–2021/83

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
रामावतार पुत्र जीतमल टाक जाति माली निवासी चेनार हाल निवासी नया दरवाजा नागौर तहसील व जिला नागौर, राजस्थान		1. तहसीलदार नागौर जिला नागौर । 2. पटवारी हल्का चेनार जिला नागौर। 3. रामकुमार पुत्र गंगाविशन 4. जीतमल पुत्र गंगाविशन 5. श्रीमती सोहनी पत्नि गंगाविशन जाति माली निवासीगण जगावतो का बास, चेनार तहसील व जिला नागौर, राजस्थान। 6. रईसी पत्नी आबिद जाति मुसलमान निवासी कुम्हारी दरवाजा के अंदर, नागौर तहसील व जिला नागौर 7. रामूराम पुत्र खेमाराम जाति जाट निवासी 438 ढाणियां, बल्दू तहसील लाडनूं जिला नागौर राजस्थान 8. उप पंजीयक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, नागौर तहसील व जिला नागौर, राजस्थान।

उपस्थिति :–

1. अपीलान्ट की ओर से वकील श्री पवन श्रीमाली।
2. रेस्पोडेन्ट संख्या–1,2 व 8 की ओर से राजपैरोकार श्री ओमप्रकाश पूनिया, रेस्पोडेन्ट संख्या–3 से 5 की ओर से वकील श्री भगवानाराम सारस्वत, रेस्पोडेन्ट संख्या–6 व 7 की ओर से वकील श्री गणपतराज कांगसिया।

निर्णय

दिनांक : 01/08/2023

अपीलांट ने धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत वाके ग्राम चेनार का म्यूटेशन संख्या 1248 जो तहसीलदार (भू.अ.) नागौर द्वारा दिनांक 21.05.2018 को स्वीकृत किया गया है, से व्यथित होकर यह अपील दिनांक 26.07.2021 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील ताबे उज्र मियाद दर्ज रजिस्टर कर, अधिनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया व रेस्पोडेन्टस् को जरिये सम्मन तलब किया गया।

वकील अपीलान्ट ने मियाद प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र पेश किया है। मयाद प्रार्थना पत्र पर वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि नामान्तरकरण जेर अपील में अन्तर्गत भूमि पर राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति का सक्षम न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक 17.01.2012 लगातार आज दिन तक प्रभावी रहा था, इस कारण अपीलांट इसी विश्वास में था कि रेकर्ड में किसी तरह की तब्दीली स्थगन आदेश के रहते नही हो सकती, लेकिन आपसी मिलावटी, षडयंत्रपूर्वक विधि विरूद्ध व हक अधिकारो, न्यायिक आदेशो को ताक पर रखकर किये गये अंतरणो की आड में नामान्तरकरण जेर अपील स्वीकृत किया गया है। अपीलांट को सर्वप्रथम जानकारी तब हुई, जब अपीलांट ने अपनी वादग्रस्त भूमि के वर्तमान राजस्व रिकार्ड की नकले अभी कोविड–19

कलक्टर नागौर

महामारी की दूसरी लहर उपरांत निकलवाई। अब अविलम्ब यह अपील प्रस्तुत कर रहा हैं, जो जानकारी से अंदर मियाद हैं, हालांकि वर्तमान में पिछले कुछ समय से कोविड–19 वैश्विक महामारी का दौर होने व समय समय पर तालाबंदी व न्यायिक कार्य स्थगन जैसी परिस्थितियां रही हैं तथा इनके रहते माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय व माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा अपील के प्रयोजन से समयावधि को विस्तारित किया गया हैं। हालांकि अपीलांट को तो आदेश जेर अपील की जानकारी ही हाल ही में हुई हैं, ऐसी दशा में उपरोक्त अपील हाजा हर कसौटी पर जानकारी से अंदर मियाद प्रस्तुत की गई है, का कथन करते हुए वकील अपीलान्ट ने अपील अपीलांट पेश करने में हुए विलम्ब को कंडोन करते हुए अपील अपीलांट जानकारी से अंदर मियाद शुमार किये जाने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

वकील श्री भगवानाराम सारस्वत एवं श्री गणपतराज कांगसिया ने बहस में कथन किया कि अपीलान्ट को नामान्तकरण जैर अपील आदेश की जानकारी शुरू से ही रही है। अपीलान्ट ने केवल रेस्पोडेन्ट को तंग व परेशान करने के की नियत से यह अपील प्रस्तुत की है, जो मयाद बाहर होने का कथन करते हुए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत मयाद प्रार्थना पत्र व अपील खारिज करने का निवेदन किया है। राजपैरोकार ने भी अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील मयाद बाहर होने से अपील खारिज करने का निवेदन किया।

अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत मयाद प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र एवं बहस में किये गये कथन पर विचार किया गया। अपील के तथ्यों का अवलोकन किया गया। न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील की मैरिट पर सुनवाई की जाकर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया जाना उचित है। अतः अपीलान्ट/प्रार्थी का मयाद प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं अपील अपीलान्ट को अन्दर मयाद शुमार की जाती है।

वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील पर वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने अपील में प्रस्तुत तथ्यों को दोहराते हुवे कथन किया कि अपीलांट द्वारा एक राजस्व वाद न्यायालय सहायक कलक्टर (एसडीओ) नागौर के समक्ष प्रतिवादीगण रामकुमार, जीतमल पुत्रगण गंगाविशन व सोहनी पत्नि गंगाविशन व पवन पुत्र जीतमल इत्यादि के विरूद्ध पेश किया। जिसके साथ ही अपीलांट द्वारा एक अस्थायी व्यादेश का प्रार्थना पत्र अधीन धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया, जिसके राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 11/2012 बअनवान रामअवतार बनाम रामकुमार हैं, जिसमे न्यायालय सहायक कलक्टर (एसडीओ) नागौर द्वारा अस्थायी व्यादेश का आदेश दिनांक 17.01.2012 को पारित कर संयुक्त परिवार की पुश्तैनी सहदायिकी सम्पति खेताय खसरा नम्बर 20, 21, 23, 329, 359 वाके मौजा चेनार के राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किये गये, जो तदन्तर विस्तारित किया जाता रहा है तथा आज दिन तक उक्त आदेश दिनांक 17.01.2012 अस्तित्व में है तथा न्यायालय सहायक कलक्टर (एसडीओ) नागौर द्वारा उक्त आदेश में किसी भी प्रकार का संशोधन, परिवर्तन, परिवर्द्धन नही किया गया है, न ही किसी सक्षम अपीलीय न्यायालय द्वारा स्थगन पर किसी तरह से रोक ही पारित की है। आदेश दिनांक 17.01.2012 की प्रति संलग्न प्रस्तुत की जा रही है। अपीलांट जीतमल का पुत्र है तथा गंगाविशन पुत्र आलूराम का पौत्र है तथा अपीलांट के दादा गंगाविशन पुत्र आलूराम जी का वंशवृक्ष इस इस प्रकार है–गंगाविशन पुत्र आलूराम जी के रामकुमार व जीतमल पुत्रगण तथा सोहनी पत्नी है एवं जीतमल जी के रामावतार व पवन पुत्रगण है।

वादग्रस्त भूमि जिसका म्यूटेशन स्वीकृत किया गया, उक्त भूमि स्वर्गीय गंगाविशन की पुश्तैनी भूमि रही हैं, जो स्थगन आदेश से अन्तर्ग्रस्त भी उपरोक्त वर्णित प्रकार से रही हैं, फिर भी स्थगन आदेश दिनांक 17.01.2012 के पश्चात भी खसरा नम्बर 329 रकबा 17.05 बीघा वाके मौजा चेनार के संबंध में रेस्पोडेन्ट संख्या 3 से 5 ने रेस्पोडेन्ट संख्या 6 व 7 को भूखण्ड संख्या 123 से 127 कुल क्षेत्रफल 694.44 वर्गगज/0.07.03 बीघा का बेचान किया व पश्चात रेस्पोडेन्ट संख्या 3 से 5 से उक्त भूमि का विधि विरूद्ध

कलक्टर नागौर

विक्रय की गई भूमि नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट संख्या 6 व 7 के नाम जरिये नामान्तरकरण संख्या 1248 दिनांक 21.05.2018 के रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा स्वीकृत किया गया, जो नाहक ही बिना जांच किये नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया। जिससे क्षुब्ध होकर अपीलांट की ओर से यह अपील पेश की गई है।

नामान्तरकरण आदेश जेर जेर अपील खिलाफ कानून तथ्यो, तथ्यो, परिस्थितियो, राजस्व रेकर्ड, साक्ष्य व रेकर्ड के विपरीत जाकर प्राकृतिक न्याय के सामान्य सिद्धान्तो की अवहेलना कर पारित किया गया होने से प्रथम दृष्टया ही खारिज किये जाने योग्य है।

तहसीलदार (भू.अ.) नागौर व राजस्व कर्मचारियो का यह विधिक दायित्व था कि नामान्तरकरण स्वीकृत करते समय सम्पूर्ण जांच करनी चाहिए थी एवं अपीलांट से भी पूछताछ एवं बयान कर सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए था, मगर ऐसा नही कर नामान्तरकरण कार्यवाही कर प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो की अवहेलना करते हुए बडी भारी कानूनी भूल की है।

नामान्तरकरण जेर अपील में अन्तर्ग्रस्त भूमि संयुक्त परिवार की अविभाजित भूमि हैं, जिसके प्रत्येक इंच भू भाग पर सहदायिक प्रत्येक सदस्य का कब्जा निर्विवाद रूप से कानूनन निहित रहता चला आया हैं, जो विवादित भूमि रही है तथा राजस्व दावा भी सक्षम अधिकारिता में चल रहा है, फिर भी इन तथ्यो को नजरअंदाज कर आदेश जेर अपील पारित किया गया हैं, ऐसा अंतरण भी धारा 54 सम्पति अंतरण अधिनियम के आज्ञापक प्रावधानो के तहत प्रारम्भतः निष्प्रभावी रहा क्योकि उक्त नामान्तरकरण जेर अपील जिस भूमि को लेकर भरा गया, वह राजस्व न्यायालय में विचाराधीन वाद की विषयवस्तु रही थी। फिर भी इन तथ्यो को नजरअंदाज कर अंतरण होकर पश्चात नामान्तरकरण जेर अपील भरा गया हैं, वह अपास्त किये जाने योग्य है।

नामान्तरकरण जेर अपील स्वीकृत करते समय स्थगन के तथ्यो को छुपाया गया, उनका लोप विधि विरूद्ध ढंग से किया गया तथा मिलावटी रूप से तथ्यो से विज्ञ होते हुए भी अधिकारातीत रूप से म्यूटेशन जेर अपील स्वीकृत किया गया हैं, जो इस आधार पर ही अपास्त किये जाने योग्य है क्योकि स्थगन के रहते स्थगन के विपरीत आचरण को विधि अनुज्ञापित ही नही करती।

विधि का यह प्रतिपादित सिद्धान्त है कि अंतरण विलेख के निष्पादन के 45 दिवस की अवधि के भीतर–भीतर राजस्व रेकर्ड में विद्यमान खातेदार के स्थान पर नामान्तरकरण करने की अधिकारिता ग्राम पंचायत को निहित होती है। इसी प्रकार अंतरक विलेख के निष्पादन के 45 दिवस के पश्चात से उक्त अधिकारिता संबंधित सक्षम तहसीलदार में अन्तर्निहित हो जाती है। इस विधिक हैसियत व अधिकारिता के विपरीत जाकर नामान्तरकरण स्वीकृत करना व रेकर्ड में तब्दीली करना विधि विरूद्ध व अधिकारातीत (Ultra Virus) हैं, मगर इन परिस्थितियो के विद्यमान रहते हुए भी विधि विरूद्ध व अनाधिकारिक रूप से नामान्तरकरण जेर अपील स्वीकार किया गया हैं जो अपास्त किये जाने योग्य है।

माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के द्वारा अपने परिपत्र कमांक/ राम/न्याय/का.आ./06/2335 दिनांक 04.07.2006 के द्वारा यह आदेश जारी कर रखा है कि एकतरफा स्थगन आदेश में जब तक अन्यथा आदेश पारित न हो, एकतरफा स्थगन निरन्तर विद्यमान रहने की विशेष उपधारणा उपधारित की जाती है। इस प्रकार हस्तगत प्रकरण में माननीय सहायक कलक्टर एसडीओ नागौर द्वारा राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 11/2012 बअनवान रामअवतार बनाम रामकुमार में पारित अस्थायी व्यादेश का आदेश दिनांक 17.01.2012 अखण्डनीय था, रहा व है, जिसे स्वयं सहायक कलक्टर एसडीओ नागौर अथवा अन्य किसी भी अपीलीय अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा निरस्त, परिसीमित नही किया गया है तथा उक्त स्थगन आदेश अन्यून रूप से विद्यमान था, रहा व हैं, जो कि म्यूटेशन जेर अपील की तिथि को भी रहा, जिन तथ्यो की जानकारी रेस्पोडेन्टस को थी, स्वयं रेस्पोडेन्टस संख्या 3 से 5 राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 11/2012 में पक्षकार रहे हैं, जिनके द्वारा तथ्यो को कंसीव करते हुए अपूर्व भ्रम की स्थिति पैदा कर तथा सक्षम राजस्व अधिकारियो व कर्मचारियो से मिलावट कर प्रभावी स्थगन आदेश के प्रभावशीलता

कलक्टर नागौर

के बावजूद नामान्तरकरण जेर अपील स्वीकृत करवा लिया, जो विधि व तथ्य की प्रत्येक कसौटी पर गलत, अनुचित व विधि विरूद्ध होने से खारिज किये जाने योग्य है।

वर्तमान में कोविड–19 वैश्विक महामारी के चलते उत्पन्न हुई विशेष परिस्थितियो के मध्यनजर माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा स्थगन आदेश को लेकर माननीय राजस्व मण्डल द्वारा समय समय पर परिपत्र कमांक/राम/न्याय/स्था./प–20/2010/8134 दिनांक 26.06.2020 एवं कमांक/राम/न्याय/स्था/प–76/2010/15280 दिनांक 05.07.2021 के द्वारा सभी प्रकार के स्थगन आदेश की अवधि को विस्तारित किये जाने के संबंध में विशेष आदेश पारित कर रखा हैं, जिससे भी स्पष्ट है कि माननीय सहायक कलक्टर एसडीओ नागौर द्वारा राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 11/2012 बअनवान रामअवतार बनाम रामकुमार में पारित अस्थायी व्यादेश का आदेश दिनांक 17.01.2012 कोविड–19 वैश्विक महामारी के दौरान भी प्रभावी रहा तथा इस अवधि अन्तर्गत भी म्यूटेशन जेर अपील की विषयवस्तु रही भूमि स्थगन के अधीन रही। मगर नामान्तरकरण जेर अपील स्वीकृत करते समय स्थगन जैसे महत्वपूर्ण बिन्दू को व संबंधित पक्षकारो को सुनवाई का कोई अवसर दिये बिना ही नामान्तरकरण जेर अपील पारित कर दिया, जो इस आधार पर अपास्त किये जाने योग्य है।

माननीय सहायक कलक्टर एसडीओ नागौर द्वारा राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 11/2012 बअनवान रामअवतार बनाम रामकुमार के प्रकरण में अपीलांट, रेस्पोडेन्ट संख्या 3 से 5 व रेस्पोडेन्ट तहसीलदार नागौर व उप पंजीयक नागौर भी पक्षकार थे, जिन्हे वादग्रस्त भूमि के पुश्तैनी होने, पक्षकारान का हित निहित होने, अपीलांट का भी अविभाजित हिस्सा होने, उक्त भूमि पर पारित स्थगन आदेश दिनांक 17.01.2012 आदि तथ्यो की पूर्णतः जानकारी रही तथा यह भी तथ्य ज्ञान में थे कि वर्तमान व पूर्व का राजस्व रेकर्ड किसके नाम से संधारित रहा हैं। मगर फिर भी अंतरको विलेखो का निष्पादन, पंजीयन व पश्चात राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण की स्वीकृती देकर व तब्दीली कर स्थगन आदेश की अवहेलना के अतिरिक्त अपीलांट के हितो के विपरीत कृत्य रेस्पोडेन्टस ने आपसी मिलावट व षडयंत्र के तहत किया, जिससे अपीलांट को ऐसी भारी अपूर्णिय क्षति हुई व होती रही हैं, जिसकी पूर्ति मुद्रा में किया जाना सम्भव नही हैं। इसके अतिरिक्त वर्तमान लिटिगेशन की उत्पति हेतु भी रेस्पोडेन्टस के आपसी मिलावटी व दुरभिसंधि पूर्ण आचरण रहे है। ऐसी दशा में उपरोक्त वर्णित तथ्यो व परिस्थितियो के रहते नामान्तरकरण जेर अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

नामान्तरकरण तस्दीक करते समय राजस्व कर्मचारियो का यह विधिक दायित्व बनता है कि वह इस संबंध में विस्तृत जांच करे एवं अन्य सभी खातेदारो के बयान लेवे एवं उतराधिकारियो, उतरजीवियो, मौका स्थिति, रेकर्ड, वाद–विवाद बाबत विस्तृत जांच करनी चाहिए थी। लेकिन वर्तमान प्रकरण में किसी प्रकार की कार्यवाही तहसीलदार (भू.अ.) नागौर द्वारा नही की गई, ऐसा नही कर तहसीलदार (भू.अ.) नागौर ने भारी कानूनी व वाक्याती त्रुटि कारित करने का कथन करते हुए वकील अपीलान्ट ने अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर आदेश दिनांक 21.05.2018 तहसीलदार (भू.अ.) नागौर जिसके द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1248 स्वीकार किया गया, को अपास्त किये जाने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

वकील श्री भगवानाराम सास्वत व श्री गणपतराज कांगसिया व राजपैरोकार ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायलय द्वारा पंजीबद्ध बेचाननामों के आधार पर म्युटेशन जैर अपील स्वीकृत किया गया है, जो विधि सम्मत है एंव जहां तक सहायक कलक्टर एसडीओ नागौर द्वारा राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 11/2012 बअनवान रामअवतार बनाम रामकुमार में पारित अस्थायी व्यादेश का आदेश दिनांक 17.01.2012 के द्वारा बेचान, अन्तरण आदि नहीं करने एंव राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने को लेकर वकील अपीलांट का कथन है उक्त संबंध में उल्लेखनीय है कि उक्त आदेश दिनांक 17.01.12 को आगे विस्तारित नहीं किया है, का कथन करते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

कलक्टर नागौर

वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण रिकार्ड का अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण में ग्राम चेनार तहसील नागौर के खसरा नम्बर 329 के संबंध में नामान्तरकरण संख्या 1248 पंजीबद्ध विकय पत्र के आधार पर पटवारी चेनार द्वारा भरा गया, भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा जॉच में अंकन सही होने की रिपोर्ट के आधार अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर द्वारा उक्त नामान्तरकरण दिनांक 21.05.18 को स्वीकृत किया गया है। वकील अपीलान्ट द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 11/2012 रामअवतार बनाम रामकुमार वगैरह प्रकरण में सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.) नागौर के आदेश दिनांक 17.1.12 की छाया प्रति प्रस्तुत की जिसके अनुसार उक्त खसरा नम्बर 329 रकबा 17.5बीघा व अन्य खसरान के संबंध में सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) नागौर द्वारा आगामी पेशी तक बय हस्तान्तरण नहीं करने एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया, जाकर आगामी तारीख पेशी 10.02.12 नियत की गई है। वकील अपीलान्ट द्वारा उक्त प्रकरण 11/2012 में दिनांक 17.01.12 से 19.05.21 तक की आदेशिकाओं की छाया प्रति प्रस्तुत की है, जिनके अवलोकन से स्पष्ट है, कि आगामी पेशी तक यथास्थिति के उक्त आदेश को सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.) द्वारा विस्तारित नहीं किया गया है। इस प्रकार हस्तगत प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर द्वारा स्वीकृत नामान्तकरण जैर अपील आदेश दिनांक 21.05.2018 को उक्त स्थगन आदेश प्रभावी नहीं था। ऐसी स्थिति में पंजीबद्ध बेचाननामा के आधार स्वीकृत नामान्तकरण जैर अपील आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर द्वारा पारित नामान्तरकरण जैर अपील आदेश दिनांक 21.05.2018 यथावत रखा जाता है। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर को मूल नामान्तरकरण लौटाते हुए निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय सुनाया गया।

(डॉ0 अमित यादव)
जिला कलक्टर, नागौर
कलक्टर नागौर